पत्र सं0 BSDM/DRCC Services/E-01/2024- 1999

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार कौशल विकास मिशन

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी केवाईपी केंद्र संचालक।
बिहार कौशल विकास मिशन।

पटना, दिनांक: 27/8/24

विषयः डीआरसीसी में निबंधन के उपरांत कुशल युवा केंद्र पर नामांकन नहीं लेने के संबंध में।

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सात निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा कार्यक्रम (KYP) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुशल युवा कार्यक्रम में पंजीकरण की प्रक्रिया में अभ्यर्थी डीआरसीसी में जा कर सर्वप्रथम अपना निबंधन करवाते हैं। तत्पश्चात्, डीआरसीसी द्वारा जारी निबंधन रसीद के साथ अभ्यर्थी अपने नजदीक के केवाईपी प्रशिक्षण केन्द्र पर रसीद जमा कर प्रशिक्षण हेतु नामांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं।

विदित हो कि बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर लगभग 6,18,381 ऐसे अभ्यर्थियों ने डीआरसीसी में निबंधन करवा रखा है, जिन्होंने निबंधनोपरांत कुशल युवा केंद्रों पर अपना नामांकन पूर्ण नहीं किया है। वैसे पंजीकृत अभ्यर्थियों की विवरणी का विश्लेषण करने के उपरांत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं–

1. गैर नामांकित 37 अभ्यर्थी को जिनका आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उन्हें बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अमान्य किया गया हैं।
2. गैर नामांकित 5627 अभ्यर्थी का आयु सीमा पत्र जारी होने के पहले ही समाप्त हो गई है, , उन्हें बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अमान्य किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2019–20 तक निबंधित 1,93,321 अभ्यर्थी, जिनका केवाईपी केंद्रों पर नामांकन पूर्ण नहीं हो पाया है, उनको माह अक्टूबर 2024 बैच तक नामांकन का समय दिया जा रहा है। सभी केवाईपी केन्द्रों को निदेश दिया जाता है कि अपने केन्द्रों में नामांकन के समय 2019–20 में निबंधित अभ्यर्थियों को वरीयता दिया जाये। यदि कोई निबंधित अभ्यर्थी 31 अक्टूबर 2024 तक किसी प्रशिक्षण केन्द्र पर अपना नामांकन नहीं करवाते हैं, तो उनकी विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल से अमान्य कर दिया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 96,754 अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने अपना निबंधन डीआरसीसी में करवा लिया है, लेकिन केवाईपी केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु नामांकन नहीं करवाया है। ऐसे अभ्यर्थियों को दिसंबर 2024 तक के बैच में नामांकन का समय दिया जाता है। साथ ही सभी केवाईपी केंद्रों को निर्देश दिया जाता है कि नामांकन की प्रक्रिया में उक्त अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान करें। दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक यदि ऐसे अभ्यर्थी अपना नामांकन नहीं करवाते हैं, उनकी विवरणी बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल से अमान्य कर दिया जाएगा।
5. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में वैसे अभ्यर्थी जिनका कुशल युवा केन्द्रों में नामांकन नहीं हो पाता है, और वो 2 साल या उससे ज्यादा समय तक निबंधित हैं उनको अमान्य कर दिया जाएगा।
6. सभी अभ्यर्थियों की सूची बिहार कौशल विकास मिशन के पोर्टल पर उपलब्ध है ।

अतएव सभी केंद्र संचालकों को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को अपनी ओर से सूचित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही दिए गए समय सीमा में नामांकन हेतु अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हे नामांकन में वरीयता प्रदान करें।

विश्वासभाजन

(सुरेश कुमार सिंह)
मिशन निदेशक,
बिहार कौशल विकाश मिशन,
बिहार, पटना